उपलब्ध हैं, उन के मुताबिक, सब कुछ किया जा रहा है । अगर माननीय सदस्य इस बारे में मुझे सुझाव देंगे, तो मुझे खुशी होगी ।

DR. V. A. SEYID MUHAMMED: Will the minister be pleased to state whether the Janata Government had prescribed any oath for the dacoits in the Union Territory just as they had done in the case of smugglers in Bombay?

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं यह जानना चाहता हूं कि दिल्ली में लूटिंग, बेफ्ट, चीटिंग स्टेविंग और किडनैपिंग के केसिज पहले कितने थे और अब कितने हैं । पिछले तीन महीनों में इन क्राइम्ज के सिलसिले में कितने पुलिस वाले गिरफ्तार किये गये हैं ?

चौधरी चरण सिंह : दिल्ली के सम्बन्ध में 1977 के तीन महीनों का विवरण मेरे पास है । और सन् 75 के भी तीन महीनों का विवरण मेरे पास है । उस को देखने से मालूम होता है कि लूट, चोरी, धोखाधड़ी और किडनैपिंग, इन में कुछ वृद्धि हुई है मगरचे छुरेबाजी में बहुत कमी आई है ।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सब से बड़ा क्राइम है मर्डर, मर्डर में कमी आई है, इसलिए माननीय मित्र ने मर्डर का सवाल ही नहीं पूछा । वे पूछना चाहते हैं जो कि अपेक्षतया हल्के जुर्म हैं । हल्का जुर्म यों तो कोई नहीं है । जुर्म कोई नहीं होना चाहिए । लेकिन मुझे यह इत्तिला मिली है कि हत्या में कमी हुई है और छुरेबाजी में कमी आई है और बाकी कुछ और जुर्म बढ़े हैं । लेकिन यह जो बढ़े हैं यह इन की रिपोर्टिंग बढ़ी है, यह नहीं कि क्राइम बढ़े हैं । हमारे हुक्म यह हुए हैं कि जो भी रिपोर्ट लिखाता है वह लिखो, अगर नहीं लिखते हैं तो वह अपने आप में एक आफेंस है और उस पर ऐक्शन लिया जायेगा । तो इस से तो सही तस्वीर नहीं मालूम होती है । हां जो सीरियस क्राइम हैं वे कभी छिपाए नहीं जा सकते । न पहले छिपाए जाते थे न अब छिपाए जाते हैं । तो सीरियस क्राइम में शुरू के डेढ़ महीने जो जनता गवर्नमेंट के ये 26 मार्च से 10 मई तक उसके आंकड़े मेरे पास हैं और 75 के मुकाबले में वह घटे हैं ।

श्री कंवर लाल गुप्त : पुलिस वाले कितने पकड़े गए जिन्होंने पहले मर्डर किए थे और अब कितने ऐसे पकड़े गए जिन्होंने मर्डर्स किए हैं ?

चौधरी चरण सिंह : इस की इत्तिला मेरे पास नहीं है ।

SHRI K. LAKKAPPA: Mr. Speaker, Sir, the truth has not been given out by the Home Ministry. After the present government came into power, there is a feeling in the country specially in Delhi and surrounding areas that certain secret information and instructions have been issued by the Home Ministry to treat goondas, hooligans and all sorts of criminals in a very lenient manner and this has been spread throughout the country. I want to know whether it is a fact that, for the reasons best known to the Home Ministry as it falls winthin their jurisdiction, after the Janata Party came into power, the police people are very lenient and no action has been taken and therefore, this is one of the reasons for the increase of crime specially in the Union Territory of Delhi.

MR. SPEAKER: Even if the instructions were issued, do you think they will say 'yes'? Now, we shall take up Question No. 45.

दिल्ली में अनुसूचित जाति के पुलिस अधिकारी

*45. श्री शिव नारायण सरसूनिया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों, पुलिस उप-अधीक्षकों तथा पुलिस इन्सपैक्टरों में कितने व्यक्ति अनुसूचित जाति के हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों में दिल्ली के विभिन्न जिलों और थानों में एम० पी०, डी० एस० पी० और एस० एच० ओ० के पदों पर अनुसूचित जातियों के कितने अधिकारियों को नियुक्त किया गया है ?

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : (क) इस समय दिल्ली पुलिस में अनुसूचित जातियों के 3 भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी, 2 पुलिस उप-अधीक्षक और 23 निरीक्षक हैं।

(ख) संबंधित अवधि के दौरान दिल्ली के विभिन्न जिलों और थानों में पुलिस अधीक्षकों, पुलिस उप-अधीक्षकों और थाना अध्यक्षों के रूप में नियुक्त अनुसूचित जाति के अधिकारियों की संख्या इस प्रकार है :—

पुलिस अधीक्षक	पुलिस उप-अधीक्षक	थाना अध्यक्ष
4 (तीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों समेत)	2	4

श्री शिव नारायण सरसूनिया : मंत्री महोदय ने जो यह क्रम बताया है उन के बारे में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि कोई उचित स्थान उनको नहीं दिया जाता ? पिछले तीस सालों से एक भेदभाव की नीति उनके साथ बरती जा रही है और अब भी इसी तरह से बराबर चला जा रहा है ? अनुसूचित जातियों के साथ यह जो भेद की नीति चल रही है क्या उस में अब परिवर्तन होगा और क्या यह सही है कि जो लगभग 50 एस० पी, 150 के लगभग डी9 एस० पी० और 500 निरीक्षक हैं इन में से कुछ ही लोगों को थानों में और जलों में लगाया जाता है, बाकी लोगों को नहीं लगाया जाता? क्या इस का कारण भ्रष्टाचार है?

साथ ही मैं यह जानना चाहता हूं कि जब आपातकालीन स्थिति थी जेल से छूटने वाले लोगों को दरवाज़े से ही पकड़ लिया जाता था, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू हुई थी, उस का क्या परिणाम निकला और उस जांच को क्यों बन्द कर दिया गया?

चौधरी चरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आया कौन से सवाल का जवाब दूं। एक तो माननीय सदस्य ने भेद की नीति के सम्बन्ध में पूछा है। जहां तक नीति का सवाल है, मैं इस सदन को यकीन दिलाना चाहता कि कोई भेद की नीति बरतने का प्रश्न नहीं है। अगर किसी के साथ ऐसी नीति बरती गई हो, मेरिट्स पर वह अधिकारी रहा हो और केवल इसलिए जगह नहीं मिली हो कि वह किसी विशेष जाति से सम्बन्ध रखता हो तो उसकी इंक्वायरी की जायेगी और जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी।

जहां तक सवाल है कि कोई इंक्वायरी चल रही है तो उसका मुझे इल्म नहीं है। माननीय सदस्य लिखेंगे तो इंक्वायरी हो जायेगी।

श्री चांद राम : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर पिछले दो-तीन सालों में शेड्यूल्ड कास्ट कर्मचारियों को सुपरसीड किया गया हो, अननेसेसरीली उनका सुपरसेशन किया गया हो यानी किसी एस०पी० को डी० आई० जी० बनना हो लेकिन उसको सुपरसीड करके दूसरे को बना दिया गया हो—यदि इस तरह का अन्याय किया गया हो तो क्या उस पर पुनर्विचार करेंगे?

चौधरी चरण सिंह : : अगर अन्याय हुआ है तो बेशक उस पर विचार होगा।

डा० बापू कालदते : क्या अनुसूचित जाति के लोगों के लिए सर्विसेज में कुछ पर्सेंटेज रखा है या रखने के लिए सरकार सोच रही है?

चौधरी चरण सिंह : रेकूटमेंट में पर्सेंटेज तो रखा हुआ है लेकिन सारा पर्सेंटेज एकदम पूरा हो जाये, यह तो सम्भव नहीं है। वह धीरे धीरे बढ़ रहा है।

श्री शिव नारायण : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि डी० आई० जी, एस पी०, डी०एस०पी —इस तरह के जो आफिसर्स हैं उनके लिए जो 18 परसेन्ट का रिजर्वेशन दिया गया है वह पूरा हो रहा है या नहीं।

चौधरी चरण सिंह : मैं जवाब दे चुका हूं। माननीय सदस्य तो हमारे पुराने मित्र हैं।

Release of Persons Detained during Emergency

*47. SHRI GAURI SHANKAR RAI:

SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) how many persons have so far been released out of those who were detained under the MISA/DISIR or other Acts during the Emergency period, separately in each State, category-wise;

(b) the State-wise and category-wise break-up of detentions at present;

(c) how many detenus died or succumbed to accidents/illness during the Emergency period; and

(d) the steps taken by Government to get all the detained persons released in each State?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (CHAUDHURI CHARAN SINGH): (a) and (b). During the Emergency 29,795 persons were detained under the Maintenance of Internal Security Act, 1971, by invoking Section 16A of the Act. Of them 18892 detenus had been released upto 19th March, 1977 and the remaining were released after that date.

6244 persons were detained under the normal provisions of the Act during the same period, in addition to 6010 persons already in detention as on 25th June, 1975. Out of them 6851 were in detention as on 25th March, 1977. Only 1796 persons were in detention on 4th June, 1977. Two statements giving state-wise and category-wise break up of number of persons who were detained by invoking Section 16A of the Act and under the normal provisions of the Act are laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-341/77].

The Defence and Internal Security of India Rules do not provide for detention of any person.

2015 persons were detained under the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 during the period 25th June, 1975 and 20th March, 1977. A statement showing State-wise number of detentions, releases as well as the position on 4th June, 1977 is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-341/77].

(c) 59 detenus died while in custody and 14 died while on parole.

(d) The State Governments have already been advised to consider the release of persons detained under Maintenance of Internal Security Act. In pursuance of this advice, the State Governments have released a large number of detenus.

श्री गौरी शंकर राय : सभापति महोदय, मृतकों के संबंध में मैं माननीय गृह मंत्री जी के उत्तर को सुन नहीं सका। मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोगों की मृत्यु हुई है?

चौधरी चरण सिंह : 59 की मृत्यु जेल में हुई थी और 14 की मृत्यु जेल से बाहर निकल कर हुई, इन की मृत्यु का कारण भी हम जेल ही समझते हैं, क्योंकि ये बीमार थे और इसीलिए इन को पैरोल पर छोड़ा गया था।